भारत में बहुभाषिकता तथा हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ एवं समाधान

रश्मि श्रीवास्तव*

भाषा शिक्षा अन्य विषयों गणित, विज्ञान आदि की तरह सीखने-सिखाने की एक प्रक्रिया मात्र नहीं है। यहाँ तो एक-एक शब्द, शब्दों की व्याख्याएँ, उनकी अभिव्यंजनाएँ दिलों से, सोचने समझने के तरीकों से, हमारे मस्तिष्क की गाँठो से अंतर्मन तक की पहुँच का एक माध्यम भी हैं। थोड़े और विस्तृत रूप में भाषाएँ हमारा स्वाभिमान बन हमारी जड़ों की मज़बूती बन जाती हैं। किसी भी राष्ट्र के बेहतरीन साहित्य वहाँ लिखी जाने वाली कथा, कहानियाँ, मीठी कविताएँ उनकी अपनी खुद की भाषाओं में हुआ करते हैं। हमें भी अपनी कक्षाओं के भीतर हिंदी भाषा-शिक्षण के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जिसमें कक्षा में बैठे छोटे-बड़े बच्चों का हृदय अपनी इस राजभाषा के प्रति गौरव से भर सके। उनके दिलों में उतरा गौरव उनकी कॉपी-किताबों में सुंदर अक्षरों की छाप बने और ये सुंदर अक्षर उनके दिलों में आकार लें, उनके विचारों को, उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को, उनकी खुद की भाषा (हिंदी) में मुखरित कर सकें। ज्ञान-विज्ञान के पारंपरिक और आधुनिक, दोनों शाखाओं में हिंदी भाषा सहज संवाद, सहज क्रियाशीलता का आधार बन सके। इस पूरे क्रम में ध्यान इस बात का भी रखना होगा कि विविध क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी न हो। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी का भी अपना महत्व है। हमारी कक्षाओं को इतना उदार तो होना ही होगा कि वह कक्षा में, विद्यार्थी के घरों, आस-पड़ोस में बोली जाने वाली भाषा को स्वीकार करें। इस भाषा के माध्यम से ही हिंदी भाषा को उन्नत करना होगा। आकाश के खुले विस्तार में संग साथ उड़ने का आनंद अलग तरह का है। इसकी ताकत भी विशिष्ट है। बहुभाषा-भाषी भारत देश में हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का यही मूल आधार है। इन्हीं सभी सरोकारों का ध्यान रखते हुए हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों एवं उनके व्यावहारिक समाधान का उल्लेख इस लेख में किया गया है।

भारत देश विभिन्नताओं का देश है। यह विभिन्नता भौगोलिक होने के साथ-साथ भाषाई तथा सांस्कृतिक भी है। भाषाई विविधता के नज़रिये से भारत एक अनोखा देश है। यहाँ अनेक भाषाएँ बोली और समझी जाती हैं। समाजशास्त्री दृष्टि से भाषा समाज द्वारा विकसित विचारों का आदान-प्रदान का साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहना पसंद करता है। यही समूह जाति व समाज के रूप में आकार लेते हैं। विकास के इस क्रम में प्रत्येक समूह भाषा का आश्रय लेता है। भाषा के माध्यम

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (बी.एड.) महिला विद्यालय पी.जी. कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 208011

से ही वे आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। अतः समाज के विकास के साथ भाषा का भी विकास होता चला जाता है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि भाषा का विकास सामाजिक विकास का द्योतक है। एक समाज जितना सभ्य व प्रगतिशील होगा, उसकी भाषा भी उतनी ही संपन्न होगी। हमारे देश की भाषाई विविधता समृद्धता का प्रतीक है। देश भर में बोली जाने वाली विविध भाषाओं की अपनी-अपनी महत्ता है, उनका अपना विशिष्ट शब्द भंडार व साहित्य है, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देते हुए देश भर में इसके पठन-पाठन की व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया है। किंतु अनेक सामाजिक, राजनीतिक कारणों से राजभाषा हिंदी को व्यावहारिक रूप में उसका वास्तविक दर्जा न मिल पाने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव हिंदी भाषा के पठन-पाठन पर भी पड़ा है। आज देश के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षा तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। भाषाई विषमता व बहुभाषिकता ने हमारी आज की ताकत बनने के बजाए, भाषाई समस्या को जन्म दिया है। आइए, भारत में बहुभाषिकता तथा हिंदी भाषा शिक्षा की चुनौतियों के संदर्भ में सबसे पहले नज़र डालें बहुभाषिकता के आशय तथा भारत में उसकी स्थिति पर।

बहुभाषिकता

बहुभाषिकता का शाब्दिक अर्थ अनेक भाषाओं का जानकार होना है। किसी देश में बहुभाषिकता उस राष्ट्र में विविध भाषाओं के प्रयुक्त होने की स्थिति है। किसी राष्ट्र अथवा समाज में यदि विविध भाषाएँ बोली, समझी और लिखी-पढ़ी जाती हैं तो वह राष्ट्र बहुभाषी है। बहुभाषी देश अपनी स्थानीय ज़रूरतों के लिए अगर एक भाषा का प्रयोग करता है तो इन ज़रूरतों से ऊपर क्षेत्रीय स्तर की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरी भाषा का। इनका आपसी तालमेल बहुभाषिकता की खूबसूरती है। भारत एक बहुभाषी देश है। 1961 की जनगणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस देश मे 1652 मातृभाषाएँ हैं जिनको 200 वर्गीकृत भाषाओं में बाँटा जा सकता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 प्रमुख भाषाएँ हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा/आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं— बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। यहाँ विशेष बात यह है कि शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य से दूर होने तथा भाषा शिक्षण की किसी निश्चित योजना के कार्यान्वयन के अभाव में भी बहुभाषिकता का स्वरूप भारत में ज्यों का त्यों बना हुआ है एवं फलफूल रहा है। ईमानदारी से देखें तो बहुभाषिकता वैश्वीकरण के वर्तमान युग में एक ज़रूरत भी है। जिस तरह निकट राज्यों के निवासी

आस-पास के सीमा क्षेत्र में निकट राज्यों में निवास करने वाले लोगों से उनकी भाषा से तालमेल बिठा, संवाद स्थापित करते हैं, उसी प्रकार दो देशों की जनता भी सीमा क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के सहारे उस देश के लोगों के साथ संवाद कर सकती है। व्यवहार में प्रायः ऐसा देखा भी गया है कि एक प्रदेश के सीमा क्षेत्र से प्रसारित हो उस क्षेत्र के समीप राज्य तक एक-दूसरे की भाषा प्रसारित होती है। राष्ट्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों से भाषा का प्रचार भी स्वतः होता है। उदाहरणस्वरूप नेपाल की सीमा के साथ रहने वाले अपनी मातृभाषा के साथ नेपाली भाषा, चीन और रूस की सीमा के साथ रहने वाले लोग चीनी और रूसी भाषाओं में संवाद की क्षमता थोड़ी बहुत रखते हैं।

बहुभाषिकता की दृष्टि से भारत संभवतः विश्व में सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। हज़ारों मातृभाषाएँ यहाँ हज़ारों साल से बोली जाती रही हैं। भिन्न भाषा-भाषियों के बीच परस्पर संवाद के लिए अलग-अलग स्तरों पर कोई-न-कोई भाषा संपर्क भाषा की ज़िम्मेदारी निभाती दिखाई देती है। बहुभाषिक समाज में किसी भी भाषा का संप्रेषण घनत्व सर्वत्र एक जैसा नहीं होता, बल्कि एक भाषा क्षेत्र से दूसरे भाषा क्षेत्र के संपर्क में आने पर वह बदलता भी है।

राजभाषा हिंदी

बहुभाषिकता के गौरव से सजे भारत देश की एक प्रधान ज़रूरत एक ऐसी भाषा की है जो देश भर की स्वीकार्य भाषा हो और जिसे पूरा देश अपना मानकर अंगीकृत कर सके। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार विभिन्न राज्यों को भारत संघ के एक सदस्य के रूप में जुड़कर स्वायत्त बनने का अधिकार है, उसी प्रकार भाषाई संप्रेषण व्यवस्था में, विभिन्न भाषाएँ अखिल भारतीय स्तर पर जुड़ कर अपनी क्षेत्रीय सत्ता सिद्ध कर सकेंगी। अंग्रेज़ी तथा भारत में बोली जाने वाली अन्य प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी भाषा सर्वाधिक प्रयोजन सिद्ध भाषा है। अतः संघीय भाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना भारत में भाषाई समृद्धता के नज़रिये से लाभप्रद है।

भारत का इतिहास गवाह है कि जब भी जनजागरण आंदोलन छिड़ा या किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक लोकनायक ने संपूर्ण देश को एक साथ संबोधित करना चाहा, तब-तब उन आंदोलनों और लोकनायकों ने उस काल की संपर्क भाषा को अपनाया। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी यह स्थिति देखी गई। इस अवधि में हिंदी को व्यापक जनसंपर्क के लिए सर्वाधिक समर्थ भाषा के रूप में पाया और स्वीकृत किया गया। हिंदी भाषा की ये ताकत आज भी ज्यों की त्यों है। खेद का विषय है कि विविध राजनीतिक कारणों तथा अंग्रेज़ी भाषा के व्यापक प्रभाव में हमारी शिक्षण संस्थाओं और शैक्षिक व्यवस्थाओं में हिंदी भाषा को हीनता से देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। हीनता का यह भाव शैक्षिक संस्थाओं में गौरव से हिंदी को प्रमुखता दे ही नहीं पाता। यहाँ ध्यान से देखें, जहाँ भाव ही न हो, वहाँ समर्पण कहाँ, उत्कर्ष कहाँ?

भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास और विस्तार के संदर्भ में जो लक्ष्य निर्धारित हैं, वह

हिंदी भाषा का वह स्वरूप है, जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं और संस्कृत की शब्दावली, शैली और रूप समाहित हो। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 (2) में शासकीय कार्य में अंग्रेज़ी के प्रयोग को संविधान के लागू होने के बाद से 15 वर्ष यानी 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद जारी रख सके। तदनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3 (2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी।

इन व्यवस्थाओं के तहत विशेष कार्यों, जैसे — प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, शासकीय और अन्य रिपोर्ट, लाइसेंस परमिट, ठेका आदि में हिंदी और अंग्रेज़ी, दोनों का उपयोग अनिवार्य है। इस पूरी व्यवस्था में राजभाषा हिंदी की केंद्रीय भूमिका और अंग्रेज़ी भाषा की सहायक भूमिका की परिकल्पना निहित है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा का संपर्क भाषा के रूप में प्रभावपूर्ण दर्जा होने के बावजूद शिक्षा व सरकारी कामकाज आदि के क्षेत्र में अंग्रेज़ी भाषा अधिक प्रभावपूर्ण हो गई है। देश भर में भारी संख्या में अंग्रेज़ी माध्यम के छोटे-बड़े विद्यालयों की बाढ़-सी आ गई है, जहाँ बच्चे न तो बेहतर अंग्रेज़ी सीख पाते हैं, न बेहतरीन हिंदी। हाँ, हिंदी भाषा के प्रति हीनभावना छोटी उम्र में ही उनके भीतर ज़रूर भर दी जाती है।

भारत में बहुभाषिकता तथा हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ

हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई संवैधानिक व्यवस्थाओं में देश में बोली जाने वाली विविध भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन का भाव निहित है। हाँ, इन सबके बीच हिंदी राजभाषा के रूप में संपूर्ण देश को भाषाई नज़रिये से एक सूत्र में पिरोये रखे, इस बात की व्यवस्था रखी गई है। इन व्यवस्थाओं ने देश भर में हिंदी भाषा के प्रचार इसके पठन-पाठन की व्यवस्थाओं को एक ज़रूरत बना दिया है। जिसने बहुभाषा-भाषी भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में तमाम चुनौतियाँ पैदा की हैं। राजभाषा हिंदी को देश के जन-जन तक पहुँचाना एक चुनौती तो है ही, शिक्षा संस्थाओं में हिंदी भाषा का पठन-पाठन, पाठयक्रम में उसका स्वरूप तथा अहिंदी भाषा-भाषी क्षेत्रों में उसका शिक्षण अपने आप में एक बड़ा काम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1968 में भाषा शिक्षा के संबंध में स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र की विद्यालयी परिधि में अपनी नवीन चुनौतियाँ हैं। इस व्यवस्था में हिंदी भाषी राज्यों में अन्य किसी भारतीय भाषा का अध्ययन व्यर्थ बोझ के रूप में देखा जा रहा है तो अहिंदी राज्यों में राजभाषा हिंदी के अध्ययन को अनिवार्य करना भेदभावपूर्ण कृत्य के रूप में। संक्षेप में, विद्यालय के भीतर हिंदी भाषा के पठन-पाठन में प्रमुख चुनौतियाँ निम्न हैं —

- भारत में प्रायः बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखने के बजाए एक समस्या की तरह देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कक्षा में अलग-अलग भाषाओं के इस्तेमाल से बच्चों को उलझन होती है। जबकि स्थिति इसके ठीक विपरीत है। कक्षा में बहुभाषी माहौल बच्चों को अपनी बात रखने में सहजता देता है। ऐसा माहौल सभी बच्चों को दूसरे की भाषा और विचारों का सम्मान करना सिखाता है। अगर कोई बच्चा कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग परिवेश का है, उसके घर में बोली जाने वाली भाषा कक्षा के अन्य बच्चों से अलग है तो कक्षा में उसे उसकी भाषा में बात कहने का पूरा अवसर दिया जाए तो वह अधिक सहज होगा। यहाँ करना यह होगा कि उसके द्वारा बताई गई बात को दूसरी भाषा में कैसे कहें, इस बात के लिए प्रेरित किया जाए और खुद उसकी कही बात में नये शब्दों को छाँटकर कक्षा के अन्य बच्चों को सुनने, समझने और उसके प्रति सहज भाव रखने के लिए प्रेरित किया जाए।
- वैश्वीकरण ने एक-दूसरे की भाषा को जानने समझने की उत्सुकता को बढ़ाया है। ऐसा देखा जा रहा है कि विश्व के विभिन्न देश अपनी राजभाषा के अलावा फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मन, लैटिन, चीनी, कोरियाई आदि भाषाएँ सीख रहे हैं। विश्व भर में हिंदी भाषा सीखने के प्रति भी रुझान बढ़ा है। ऐसी दशा में भारत में बहुभाषिकता को उसकी ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए। परिवार, स्थानीय समुदाय, क्षेत्रीय जन व्यवहार, साक्षरता और सामान्य तथा उच्च शिक्षा इन विभिन्न संदर्भों में भारत में भाषा का विश्लेषण एक जटिलता ज़रूर प्रदर्शित करता है। किंतु भारतीय समाज इसे बड़ी सहजता से ग्रहण करता रहा है। जिस प्रकार एक गाँव की बोली अपने सीमावर्ती दूसरे गाँव की बोली से अलग होकर भी दूसरे समुदाय में बोधगम्य रही है और जिस प्रकार आस-पास के गाँव आपसी व्यवहार के लिए उस बोली को बगैर किसी अहम् के स्वीकार करते रहे हैं, उससे बगैर किसी विवाद के बहुभाषिकता प्रसार लेती रही है। हाँ, हमारे विद्यालयों में सबकुछ इतना सामान्य हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। भारत देश की शिक्षण संस्थाएँ बहुभाषिकता को बहुत सहजता से स्वीकार नहीं कर सकी हैं। परिणामस्वरूप राजभाषा हिंदी के साथ विविध प्रांतीय भाषाओं का बहुत बेहतर समायोजन दिखाई नहीं देता और हिंदी भाषा तमाम चुनौतियों का सामना करने को विवश है।
- मातृभाषा तथा शिक्षा के माध्यम भाषा में भिन्नता की चुनौती, भारत में हिंदी भाषा शिक्षण की बड़ी चुनौती है। भाषा किसी देश की अपनी पहचान है, इसका विकास और विस्तार क्रमिक रूप में एक लंबी अवधि में धीरे-धीरे होता है, तो यहाँ रातो-रात नयी भाषा के साथ तादात्म्य आसान नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जन्म के साथ बालक जिस भाषा को सुनता है, जिस भाषा में उसके आस-पास बातचीत की जाती है, उससे उसका एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव होता है। महात्मा गाँधी ने कहा भी था,

"मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियाँ क्यों ना हों, मैं उससे उसी तरह चिपका रहूँगा जिस तरह अपनी माँ की छाती से, वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है।" यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर के कथन पर भी नज़र डालें, "सौभाग्य से मेरे ज्येष्ठ भ्राता का यह दृढ़ मत था कि बालक को विदेशी माध्यम से शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा भी था कि मातृभाषा में यदि शिक्षा की धारा प्रशस्त ना हो तो इस विद्याहीन देश में मरूवासी मन का क्या होगा? इस वास्ते जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया और बंगला साहित्य में खूब दक्ष ना हो गया, मेरा अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू नहीं हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुझे देशी भाषा में ही दी गई। अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने से पहले मुझे बंगला साहित्य की पुस्तकें पढ़ने और समझने का अवसर मिला। अपने आप के अनुभव से मैं भली-भाँति जानता हूँ कि मेरे संवर्धन और मानसिक विकास में इसका कितना योगदान है।" श्री अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द गिजूभाई बधेका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दौलत सिंह कोठरी आदि ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की वकालत की। स्पष्ट है कि विद्यालयों में एक विद्यार्थी की मातृभाषा की अनदेखी उचित नहीं है। भारत में हिंदी भाषा राजभाषा होने के बावजूद देश के विविध प्रांतों की मातृभाषा नहीं है, ऐसी स्थिति में अहिंदी भाषा-भाषी राज्य अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। अंग्रेज़ी का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, अंग्रेज़ी को विद्यालयों में बनाए रखने के लिए आकर्षित करता है। अतः देश के विविध प्रांतों में हिंदी भाषा शिक्षण का स्वरूप अपने आप में एक चुनौती है। इस दिशा में विद्यालयों में त्रिभाषा-सूत्र की व्यवस्था लागू की गई है, किंतु हिंदी भाषा का पठन-पाठन अहिंदी भाषा-भाषी राज्यों में उपेक्षित हुआ है। यह उपेक्षा हिंदी भाषा शिक्षण की बड़ी चुनौती है।

- हिंदी भाषी राज्य अंग्रेज़ी के मोह से उबर पाए हों, ऐसा दिखाई नहीं देता। इन राज्यों में अंग्रेज़ी माध्यम के निजी विद्यालयों की भरमार है। जिससे हिंदी भाषा का पठन-पाठन भी प्रभावित हुआ है। विद्यालयों में हिंदी भाषा के प्रति सकारात्मक माहौल हो, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में आम-चलन है कि विद्यालय में अंग्रेज़ी के सिवा किसी अन्य भाषा में बात किए जाने पर फ़ाइन लिया जाए। अभिभावक से शिकायत की जाए। अर्थात् विद्यालयी परिधि में अंग्रेज़ी के सिवा किसी अन्य भाषा का प्रयोग दंडनीय है। आप देखें, यहाँ अंग्रेज़ी भाषा सिखाए जाने के साथ बच्चे ने अन्य दूसरी भाषा के कमतर होने, उसके हीन होने का भाव भी ग्रहण किया है। यह ठीक नहीं है। बहुभाषा-भाषी हमारे देश के विद्यालय यदि किसी एक भाषा को श्रेष्ठ व अन्य के निम्न होने का भाव बच्चों में विकसित करने लगे, तो स्थिति बिगड़ेगी ही। बेहतर है कि हमारे विद्यालय, हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी भाषा का बेहतर ज्ञान दें, लेकिन राजभाषा हिंदी के प्रति किसी प्रकार का हीन भाव उनमें विकसित ना

करें। वे अंग्रेज़ी भाषा में बच्चों को सहज बनाएँ, लेकिन हिंदी भाषा की सहजता को बाधित ना करें। राजभाषा हिंदी के प्रति विद्यार्थियों को सहज बनाएँ रखना हमारी कक्षाओं की एक बड़ी चुनौती है।

- हिंदी भाषा भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में भी प्रभावी हुई है। एशियाई देशों के साथ-साथ यूरोप और अमेरिका के देशों, जैसे — मॉरिशस, फिजी, केनिया, नैरोबी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा आदि विभिन्न देशों से हिंदी जानने वाले लोग हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। संचार माध्यम अपने कार्यक्रमों व विज्ञापनों आदि को हिंदी भाषा में विकसित कर रहे हैं। ऐसे में हिंदी भाषा के प्रति हीनता का भाव हमारा खुद का बनाया हुआ है। भाषाई संदर्भों में आज की मान्यता है कि आने वाले समय में वही भाषाएँ जीवित रहेंगी, जो बाज़ार की भाषाएँ होंगी। आज हिंदी भाषा दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार की संपर्क भाषा के रूप में उभरी है। हमें उसके भविष्य के प्रति आशावान रहना होगा। कक्षा में अपने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के इस पक्ष से अवगत कराना होगा और हिंदी भाषा के प्रयोग के प्रति उत्साहित करना होगा।
- भाषा शिक्षा सीधे-सीधे हमारे विद्यालयों और विद्यालयों के भीतर कक्षा में होने वाले क्रियाकलापों से जुड़ी हुई है। लेकिन स्थितियाँ यहाँ भी संतोषजनक नहीं हैं। भाषा-शास्त्री प्रोफ़ेसर रमाकान्त अग्निहोत्री कहते हैं, "बच्चों की भाषा को स्कूल में खामोश कर दिया जाता है, यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे की मातृभाषा उसकी पहचान और ज्ञान की भाषा है। यह सामाजिक ताने-बाने के बीच संवाद को बरकरार रखने वाली भाषा है।" हमारे विद्यालय, कक्षा के भीतर मातृभाषा के मान तथा उसकी पहचान को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- हमें ध्यान रखना होगा कि भाषा शिक्षा एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अक्षर और मात्राओं की जानकारी देने की प्रारंभिक अवस्था में एक शिक्षक विद्यार्थियों के बीच प्रतीकों का आश्रय लेता है। 'अ' अक्षर ज्ञान देने हेतु भाषाई स्तर पर कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण शिक्षक 'अ' से अनार व 'आ' से आम का आश्रय लेता है। यहाँ अनार और आम अक्षरों को सिखाने के लिए विद्यार्थियों के ज्ञात प्रतीक हैं। अब अगर थोड़ी बड़ी अवस्था में एक विद्यार्थी के पास अपनी खुद की एक भाषा का ज्ञान है तो किसी दूसरी भाषा को सिखाने के लिए ज्ञात, प्रथम भाषा, ज्ञात प्रतीक की जगह ले सकती है। अतः एक भाषा को सिखाने में पूर्व में सीखी गई या विद्यार्थी की मातृभाषा सहायता ही है। हमारी भाषा शिक्षा की कक्षाओं में प्रायः विद्यार्थियों की रोज़मर्रा की बोल-चाल की भाषा की अवहेलना की जाती है। अग्निहोत्री के अनुसार, "भाषा की कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा मौका दें। हर बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखें और कक्षा के तीन चार बच्चों की आवाज को पूरी क्लास की आवाज ना समझें।"

- हिंदी भाषा शिक्षा की एक अन्य चुनौती हिंदी भाषा के कुशल शिक्षकों की कमी भी है। विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षक के पद को खास महत्व ना दिए जाने की प्रवृत्ति के कारण तमाम विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षक की नियुक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अंग्रेज़ी, विज्ञान तथा गणित कक्षा के महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके शिक्षक की नियुक्ति प्राथमिकता है। हिंदी तो सहायक शिक्षक के रूप में कोई भी शिक्षक पढ़ा देगा। ऐसी मानसिकता के कारण विद्यालयों से बेहतर हिंदी शिक्षकों को नियुक्ति के अवसर ही नहीं मिल पाते हैं। भारतीय परिवारों में बच्चों को पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया के बीच माता-पिता भी हिंदी भाषा पढ़ाए जाने में कोई विशेष रुचि नहीं लेते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ता, अंग्रेज़ी सीखता बच्चा माँ-बाप की आँखों का तारा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के परिवारों में हिंदी भाषा एक अतिरिक्त विषय का बोझ मात्र है जिसे परीक्षा के दो-तीन दिन पहले पढ़कर बच्चा पास ही हो जाएगा। परिवारों में हिंदी भाषा की यह उदासीनता बच्चों को हिंदी के प्रति बहुत आकर्षित नहीं कर पाती और परीक्षा पास कर लेने की जानकारी तक पढ़ने की सीमा में पढ़ी गई हिंदी भाषा उन्हें हिंदी की सामान्य जानकारी तक ही सीमित रख पाती है। हाईस्कूल, इंटर पास विद्यार्थी भी बेहतर हिंदी लिख सके, ऐसा हो नहीं पाता। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के परिवारों में भी विद्यार्थी पर अपनी मातृभाषा या अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ने पर ही ज़ोर दिया जाता है। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालयों में कक्षा पास कर लिए जाने की शिक्षा तक ही सीमित है। माथुर उल्लेख करते हैं कि 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् अहिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी का हिंदी भाषा का ज्ञान कक्षाएँ पास कर लेने भर तक ही सीमित है। हिंदी भाषा का सहज प्रयोग कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो सका है।
- बहुभाषी समाज में प्रायः एक भाषा किसी निश्चित क्षेत्र के दायरे में ज़्यादा प्रभावपूर्ण होती है। तो कोई दूसरी भाषा किसी अन्य क्षेत्र में। अकसर भाषा विशेष जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, उस क्षेत्र के संदर्भ में उसे अक्षम माना जाने लगता है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से ऐसा कहा जाना उचित नहीं है। कोई भी भाषा स्वयं में अधूरी अथवा अविकसित नहीं होती है, केवल उसका प्रयोग क्षेत्र और व्यवहार सीमित या विस्तृत होता है। सभी भाषाएँ अपनी मूल रचना और प्रकृति में उन संभावनाओं से युक्त होती हैं, जो किसी भी विकसित भाषा के लिए आवश्यक हैं। हिंदी भाषा पर भी प्रायः यह आक्षेप लगाया जाता है कि हिंदी भाषा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की दृष्टि से कमज़ोर है, वह अंग्रेज़ी भाषा की तुलना में अधूरी तथा अविकसित है। हमें जानना होगा कि यह एक भ्रान्ति मात्र है, क्योंकि अंग्रेज़ी उन विशेष सामाजिक संदर्भों में प्रयोग में लाई जा रही है, जिनमें हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। हिंदी

भाषा को यह अवसर ही नहीं मिला कि वह इन संदर्भों में प्रसार ले। हिंदी भाषा शिक्षण में आज एक बड़ी चुनौती विद्यालयों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के प्रति सहजता विकसित करना भी है। विज्ञान व तकनीक के लिए विज्ञान आदि की पुस्तकों में हिंदी भाषा में प्रायः इतने जटिल शब्द रखे गए हैं कि विद्यार्थी अंग्रेज़ी शब्दों की ओर लौट पड़ते हैं। हमें अंग्रेज़ी भाषा के वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली की सहज एवं व्यावहारिक हिंदी शब्दावली विकसित करनी होगी।

- व्यापार, तकनीकी और चिकित्सा आदि क्षेत्रों की अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने माल की बिक्री के लिए संबंधित सॉफ़्टवेयर, ग्रीक, अरबी, चीनी सहित विश्व भर की लगभग 30 से अधिक भाषाओं में बनाती है। यहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। निस्संदेह इससे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, तकनीकी भाषा आदि नज़रिये से हिंदी भाषा का विकास ही नहीं हो पा रहा है। विद्यालयों में पठन-पाठन के बीच ये शब्द गायब हैं। यदि हैं भी तो उनका स्वरूप इतना जटिल व अव्यावहारिक है कि विद्यार्थी उसका उपयोग लिखने-पढ़ने में कर ही नहीं पाते हैं। हमें इस दिशा में भी समाधान ढूँढ़ने होंगे।

समाधान

यह ठीक है कि विविध राजनीतिक कारणों से भले ही आज तक हिंदी को राजभाषा की वास्तविक प्रतिष्ठा ना मिल सकी हो, किंतु इस बात में संदेह नहीं है कि संपूर्ण देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सहजतापूर्वक व्यावहारिक स्तर पर प्रचलन में है, स्वीकृत है, साथ ही नयी चुनौतियों को स्वीकार भी कर रही है। भारत देश का एक-एक बाशिंदा मूलतः बहुभाषी ही है। हम देखें तो हमारा काम किसी एक भाषा से चलना बहुत मुश्किल है। हमें भारत के बहुभाषिक स्वरूप को सच्चे दिल से स्वीकारना होगा और इन सबके बीच हिंदी भाषा की महत्ता को जानते-समझते हुए उसके पठन-पाठन के लिए एक ऐसा माहौल और व्यवस्था बनानी होगी, जिससे हिंदी भाषा शिक्षा की उपर्युक्त तमाम चुनौतियों का समाधान हो सके। संक्षेप में, कुछ उपाय इस प्रकार हो सकते हैं—

- भाषा संवाद के साथ एक व्यक्ति का विचार और उसका भाव भी है। मातृभाषा जो कि एक बच्चे के सीधे दिल से जुड़ी हुई है, कक्षा में उसके कमतर होने का अहसास उसके खुद के कमतर होने का अहसास है। हमें अपने बच्चों को इस हीन भाव से दूर रखना होगा। हिंदी भाषा चूँकि भारत देश के एक बड़े वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इसका प्रसार आज की ज़रूरत भी है, अतः विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति गौरव का भाव विकसित करना होगा।
- हिंदी भाषा समझने और बोलने में सरल है। साथ ही इसे सीखना भी सरल है। इसकी वर्णमाला पूर्ण व वैज्ञानिक है, इसकी लिपि सरल, सुंदर, सुडौल व व्यंजक है। यह भारतवर्ष के बहुत बड़े भूखंड की मातृभाषा है। अतः विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की उपेक्षा ठीक नहीं है। हमें हिंदी भाषा की इस सहजता से अपने विद्यार्थियों को परिचित कराना होगा।

- अहिंदी भाषी प्रदेशों में संस्कृत भाषा सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है, क्योंकि यह भारत की सांस्कृतिक एवं आधार भाषा है। संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा सभी के लिए सुगम है। अतः भारत देश के विविध प्रांतों में तत्सम शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग वाली हिंदी, पठन-पाठन में अधिक सहायक होगी। हिंदीतर भाषी प्रदेशों के हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को यदि संस्कृत के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा का भी अच्छा ज्ञान हो तो वह संस्कृत की सहायता से हिंदी के शब्दों को हिंदीतर भाषा के शब्दों से संबंध बताकर, हिंदी भाषा शिक्षा को सहज बना सकेंगे। प्रादेशिक भाषा की जानकारी होने से अध्यापक ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है जो उभयनिष्ठ हों, अर्थात् हिंदी एवं प्रादेशिक भाषा दोनों में प्रयुक्त होते हों। इसी प्रकार, दोनों के व्याकरणों में साम्य ढूँढ़ कर प्रादेशिक भाषा को हिंदी के निकट भी लाया जा सकता है।
- प्रादेशिक भाषा से हिंदी तथा हिंदी से प्रादेशिक भाषा में अनूदित सामग्री की उपलब्धता भी हिंदी तथा अहिंदी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के पठन में सहायक हो सकती है। अनूदित रूप में विविध भाषाओं की उपलब्ध सामग्री विद्यार्थियों के मन में एक-दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान का भाव स्वत: विकसित करेगा। हिंदी भाषा के साहित्य से अनजान एक विद्यार्थी अपनी खुद की भाषा में उसके अनूदित रूप को पढ़कर अवश्य ही न केवल हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित होगा, बल्कि उसे सीखना भी चाहेगा।
- व्यावहारवादी मनोविज्ञानी यह जानते हैं कि बालक के भाषा अधिगम में कोई विशिष्टता नहीं होती है। भाषा भी केवल अनुभव द्वारा या अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा उनके मन पर कुछ भी अंकित किया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षा में अनुभववाद के इस सिद्धांत को स्वीकृत करना होगा। अनुभव व अभ्यास के द्वारा हिंदी भाषा उन तक पहुँचानी होगी। पाठ्यक्रम में एक पाठ्यपुस्तक का अध्ययन मात्र यहाँ प्रभावी नहीं है। छोटे-छोटे वाक्यों का अभ्यास, उनका व्यवहार में चलन तथा उनके निरंतर प्रयोग द्वारा हम अपने विद्यार्थियो को हिंदी भाषा की बेहतर जानकारी दे सकेंगे।
- हिंदी भाषा शिक्षण में टी.वी., रेडियो, टेपरिकॉर्डर आदि संचार माध्यम बहुत सहायक हो सकते हैं। संचार माध्यमों से दैनिक व्यवहार की भाषा की जानकारी विद्यार्थी बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजक कार्यक्रमों व समाचार आदि के माध्यम से विद्यार्थियों के शब्द भंडार को विकसित करने में मदद ली जा सकती है। हिंदी भाषा शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी के लिए भाषा ऊपर से लादी हुई न जान पड़े। पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ इतने रुचिकर हों कि हिंदी सीखने की ओर वह स्वतः प्रवृत्त हो। शिक्षण युक्तियों में वे सभी स्वाभाविक एवं कृत्रिम युक्तियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षण के ढंग को प्रभावशाली बनाना होगा।

- हाल के वर्षों में कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग तेज़ी से बढ़ा है। कंप्यूटर को निर्देशन देने और ब्राउजर की सुविधा भी हिंदी में उपलब्ध है। विभिन्न विषयों की जानकारी भी डिजिटल रूप में हिंदी में उपलब्ध है। लेकिन कक्षाओं में विद्यार्थी प्रायः इनके प्रति उदासीन हैं। महँगे निजी स्कूल के विद्यार्थी इन सुविधाओं के प्रयोग के प्रति उदासीन हैं, तो गाँव-देहातों के हिंदी भाषा-भाषी विद्यार्थियों की पहुँच इन सुविधाओं तक हो ही नहीं सकी है। हमें इन स्थितियों के प्रति सचेत होना होगा। अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों के विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति आकर्षित करने तथा गाँव-देहात और छोटे-बड़े कस्बों के विद्यार्थियों तक हिंदी भाषा में उपलब्ध डिजिटल सुविधाएँ पहुँचाने के प्रयास करने होंगे।
- भाषा की संपन्नता, उसका संवर्धन एक देश की अपनी खुद की पहचान है। भारत देश को भी संपूर्ण विश्व में अपनी खुद की पहचान के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। विद्यालयों में हिंदी भाषा शिक्षा को प्रभावपूर्ण भाषा बना सकते हैं। उसे देश का गौरव बना सकते हैं। निस्संदेह हमें इसके लिए हर संभव प्रयास करने होंगे।

उपर्युक्त व्यवस्थाओं के क्रम में हमें ध्यान रखना होगा कि भाषा शिक्षा अन्य विषयों — गणित, विज्ञान आदि की तरह सीखने-सिखाने की एक प्रक्रिया मात्र नहीं है। यहाँ तो एक-एक शब्द, शब्दों की व्याख्याएँ, उनकी अभिव्यंजनाएँ दिलों से, सोचने समझने के तरीकों से, हमारे मस्तिष्क की गाँठो से अंतर्मन तक की पहुँच का एक माध्यम भी हैं। थोड़े और विस्तृत रूप में भाषाएँ हमारा स्वाभिमान बन हमारी जड़ों की मज़बूती बन जाती हैं। किसी भी राष्ट्र का बेहतरीन साहित्य वहाँ लिखी जाने वाली कथा, कहानियाँ, कविताएँ उनकी अपनी खुद की भाषाओं में हुआ करती हैं। हमें भी अपनी कक्षाओं के भीतर हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जिसमें कक्षा में बैठे, छोटे-बड़े बच्चों का हृदय अपनी इस राष्ट्रभाषा के प्रति गौरव से भर सके। उनके दिलों में उतरा गौरव उनकी कॉपी-किताबों में सुंदर अक्षरों की छाप बने और ये सुंदर अक्षर उनके दिलों में आकार लें, उनके विचारों को, उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को, उनकी खुद की भाषा (हिंदी) में मुखरित कर सकें। ज्ञान-विज्ञान के पारंपरिक और आधुनिक, दोनों शाखाओं में हिंदी भाषा सहज संवाद, सहज क्रियाशीलता का आधार बन सके। इस पूरे क्रम में ध्यान इस बात का भी रखना होगा कि विविध क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी न हो। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी की भी अपनी महत्ता है। हमारी कक्षाओं को इतना उदार तो होना ही होगा कि वह कक्षा में, विद्यार्थियों के घरों, आस-पड़ोस में बोली जाने वाली भाषा को स्वीकार करें। इस भाषा के माध्यम से ही हिंदी भाषा को उन्नत करना होगा। बहुभाषा-भाषी भारत देश में हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का यही मूल आधार है।

संदर्भ

केंद्रीय हिंदी संस्थान. 2011. *गणवेषणा*. केंद्रीय हिंदी संस्थान. नयी दिल्ली. पृ. 94.

गाँधी, मोहन दास करमचन्द. 2008. *मेरे सपनों का भारत*. नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद. पृ. 214.

राय, अमृत. 1990. *रवीन्द्रनाथ के निबंध (भाग-2)*. साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली. पृ. 339.

माथुर चन्द्रिका. टीचिंग हिंदी एज़ ए सेकेंड लैंग्वेज टू नॉन हिंदी स्पीकिंग चिल्ड्रेन. www.rishivalley.org/hindi-ki-dunia

https//educationmirror.org.